सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

**राजस्व प्रार्थना पत्र स0 23/2016**

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. मदनलाल पुत्र रामपाल कुर्मी निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
2. सुरेश कुमार पुत्र रामपाल कुर्मी निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

————प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. माया बेवा बजरंग कुर्मी निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
2. महावीर पुत्र बजरंग कुर्मी निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

——————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

दिनांकः 28.05.2018

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट कादेडा में पेश हुई। प्रार्थी सं. 2 सुरेश व अप्रार्थीया सं. 1 उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार हैं —

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 2069—72 के खाता नम्बर 677 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2295 रकबा 0.17 हेक्ट. चाही उत्तम दर्ज खातेदारी है। उक्त खसरा नं. की भूमि पर जाने का रास्ता कदीमी से आराजी खसरा नं. 2296 रकबा 0.34 हेक्ट. में से होकर आता जाता रहा है, किन्तु आराजी खसरा नं. 2296 अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी की आराजी में दर्ज है तथा अप्रार्थिया ने उक्त कदीमी रास्ते को अपने खेत में मिलाकर बन्द कर दिया है। लिहाजा प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आने जाने हेतु रास्ता दिलाया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया गया हैं।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थी की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह राठौड एडवोकेट ने पावर व जवाब दावा पेश किया। तहसीलदार केकडी से मौका रिपोर्ट ली गई तत्पश्चात् पत्रावली आज कैम्प कोर्ट कादेडा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान को मजरे आम में सुना गया जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं —

बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 2069—72 के खाता नम्बर 677 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2295 रकबा 0.17 हैक्ट. दर्ज खातेदारी है। उक्त खातेदारी की आराजी में आने—जाने का रास्ता पूर्वजों के समय से आराजी खसरा नं. 2296 रकबा 0.34 हेक्ट. में से होकर आता जाता रहा है किन्तु आराजी खसरा नं. 2296 आप्रार्थीगण की दर्ज खातेदारी होने से उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है तथा अपने आराजी की खातेदारी में मिला लिया हैं। उक्त रास्ते में आने—जाने पर अप्रार्थीगण गाली—गलौच करते है तथा लडाई—झगडे पर आमादा होते है, लिहाजा रास्ते में आने वाली भूमि की वर्तमान मालियत प्रार्थीगण जमा कराने को आमादा हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कादेडा के आराजी खसरा नं. 2296 में से होकर रास्ता दिलाया जावें।

अप्रार्थी सं. 1 ने बहस के दौरान अपने जवाब दावें में अंकित बिन्दुओं का बखान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी में आराजी खसरा नं. 2296 में से होकर रास्ता चाहा गया है जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 2295 में आने जाने का रास्ता कदीमी पूर्वजों के समय से ही आराजी खसरा नं. 2294 में से होकर आता जाता रहा है। अप्रार्थिया 1 विधवा पत्नी है, जिसको हैरान परेशान करने की नियत से तथा उसकी आराजी को हडपने की दृष्टि से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो कतई गलत व निराकार हैं। प्रार्थीगण का रास्ता आराजी खसरा नं. 2294 में से होकर है जो चन्द्रप्रकाश, रामावतार, दिनेश कुमार, रामबाबू, सीता, दुर्गादेवी कुर्मी निवासी कादेडा के

नाम दर्ज है तथा आराजी खसरा नं. 2294 के खातेदारान को प्रार्थी द्वारा पक्षकार न बनाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार केकडी से रिपोर्ट ली गई जिसमें हल्का पटवारी कादेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नं 2295 का रास्ता आराजी खसरा नं. 2299 मे होकर खसरा नं. 2294 की सीमा के सहारे होकर 2295 में आता जाता हैं, जो नजदीकी रास्ता हैं। अतः वादी को खसरा नं. 2294 मे से रास्ते मांगे जाने का हक नहीं है तथा आराजी खसरा नं. 2299 प्रार्थीगण की आराजी खातेदारी दर्ज हैं। प्रार्थीगण स्वयं की आराजी से आने जाने वाले रास्ते को अपने खेत में मिलाकर अप्रार्थी की खातेदारी में से रास्ता लेना चाहते हैं जो रास्ता लम्बा पडता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पूर्णतः अनुचित है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का खारिज योग्य हैं।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजी में आने–जाने हेतु खातेदारी के खसरा नम्बर 2296 में से आने जाने का रास्ता चाहा गया है। किन्तु हल्का पटवारी/ तहसीलदार केकडी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नं. 2295 का रास्ता आराजी खसरा नं. 2299 में होकर पडोसी खेत 2294 के सहारे होकर आता जाता हैं जो नजदीकी रास्ता हैं तथा प्रार्थीगण के आने जाने हेतु 2299 से होकर आराजी खसरा नं. 2294 के आता जाता रहा है, जो नजदीकी रास्ता हैं। प्रार्थना पत्र का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होना पाया जाता है न ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेमाफेसाई केस बनता हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर के खातेदारी के खसरा नम्बर 2295 में आने जाने का रास्ता खसरा नं. 2296 में से होकर प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं हैं। प्रार्थी का अन्य वैकल्पिक मार्ग अपनी खातेदारी आराजी 2299 में होकर 2294 के सहारे होकर वैकल्पिक मार्ग होना पाया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी